दिनांक 22.04.2015 को प्रधान सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में आयोजित नालन्दा एवं नवादा जिले के कृषि योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः–संचिका में संधारित।

1. **माप–तौल** :– दोनों जिले के सहायक नियन्त्रक, माप–तौल कम लक्ष्य प्राप्ती के संबंध में पृच्छा की गई तथा निदेश दिया गया कि अगली बैठक में सही ढ़ंग से प्रस्तुतीकरण करें।
2. **जैविक प्रोत्साहन कार्यक्रम** :– नालन्दा जिले में वर्ष 2014–15 में जैविक प्रोत्साहन कार्यक्रम में कुल वित्तीय लक्ष्य 263.065 लाख के विरूद्ध उपलब्धि 195.347 लाख रूपये है। इस कार्यक्रम में पक्का वर्मी बेड में वित्तीय लक्ष्य 158.91 लाख के विरूद्ध उपलब्धि 148.8 लाख रूपये है, जो 93.64 प्रतिशत है।

   नवादा जिले में इस कार्यक्रम में कुल वित्तीय लक्ष्य 210.64 लाख के विरूद्ध उपलब्धि 181.5475 लाख रूपये है। बायोपेस्टिसाईड में भौतिक लक्ष्य 165 हे० के विरूद्ध 162.5 हे० की उपलब्धि है। जिले में बीजोपचार मद में भौतिक लक्ष्य 330 हे० के विरूद्ध 325 हे० उपलब्धि है।
3. **वर्मी कम्पोस्ट** :– नवादा जिले में वर्मी कम्पोस्ट का वितरण नहीं किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में वर्मी कम्पोस्ट का डीलर नहीं रहने के कारण वितरण नहीं किया जा सका।

   वर्मी कम्पोस्ट वितरण में दोनों जिलों में शून्य उपलब्धि है जबकि यहाँ प्रोडक्शन यूनिट कार्यरत है। प्रधान सचिव द्वारा बहुत खराब स्थिति बताई गयी। जिला में कितना वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन एवं वितरण हुआ है, इसका प्रतिवेदन अगली बैठक में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
4. **गोबर गैस संयंत्र** :– गोबर गैस संयंत्र में नालन्दा जिले में वर्ष 2014–15 में भौतिक लक्ष्य 311 के विरूद्व 166 ही उपलब्धि है।

   जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा को निर्देश दिया गया कि जिले के प्रत्येक गाँव में किसानों को गोबर गैस संयंत्र का प्रशिक्षण दिया जाय।

   नवादा जिला में भौतिक लक्ष्य 233 के विरूद्ध उपलब्धि 225 एवं वित्तीय लक्ष्य 67.57 लाख के विरूद्ध उपलब्धि 66.375 लाख रूपये है, जो 98.23 प्रतिशत है।
5. **कृषि यांत्रिकरण योजना** :– इस योजना में वर्ष 2014–15 में नालन्दा जिले का कुल वित्तीय लक्ष्य 1176.401 लाख के विरूद्ध उपलब्धि 939.49 लाख रूपये है। जिले में जीरोटिल/सीड–कम फर्टिलाईजर ड्रील में वित्तीय उपलब्धि 43.8 0 प्रतिशत, पावर टीलर में 53.78 प्रतिशत, हाइड्रोलिक ट्रेलर में 402.85 प्रतिशत एवं पम्पसेट में 144.81 प्रतिशत है। जिले में ऑफलाईन एवं ऑनलाईन में अनुदान वितरण की राशि में अंतर पायी गयी।

   इस योजना में वर्ष 2014–15 में नवादा जिले का कुल वित्तीय लक्ष्य 436.80 लाख के विरूद्ध उपलब्धि 298.66025 लाख रूपये है। जिले में लैंड लेजर लेभलर, पेडी ड्रम सीडर, सीड/फर्टिलाईजर डीबलर एवं सीड ट्रीटमेंट ड्रम में उपलब्धि शून्य प्रतिशत तथा रोटावेटर में उपलब्धि 27.54 प्रतिशत है।

   जिलों के कृषि पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि रोटाभेटर/रीपर बांईडर को Promote किया जाय।

6. <u>रब्बी अभियान</u> :– इस योजना में नालन्दा जिले का कुल वित्तीय लक्ष्य 47.53928 लाख के विरूद्ध उपलब्धि 47.2756 लाख एवं नवादा जिले का वित्तीय लक्ष्य 127.794 करोड़ के विरूद्ध उपलब्धि 118.840 करोड़ रूपये है।

इस योजनांतर्गत धातु कोठिला वितरण में नालन्दा जिले की वित्तीय उपलब्धि 98.97 प्रतिशत है तथा नवादा जिले की वित्तीय उपलब्धि 100 प्रतिशत है।

7. <u>खरीफ योजना</u> :– इस योजना में नालंदा जिले का कुल वित्तीय लक्ष्य 1742.62 करोड़ के विरूद्ध उपलब्धि 1653.56 करोड़ रूपये है। जिले में पैडी ट्रांसप्लांटर से धान प्रत्यक्षण में वित्तीय उपलब्धि 92.85 प्रतिशत, पैडी ड्रम सीडर से धान प्रत्यक्षण में वित्तीय उपलब्धि 82.31 प्रतिशत एवं मक्का प्रत्यक्षण में वित्तीय उपलब्धि 100 प्रतिशत है।

नवादा जिले का कुल वित्तीय लक्ष्य 1072.7 लाख रू0 के विरूद्ध उपलब्धि 1001.87304 लाख रू0 है। जिले में पैडी ट्रांसप्लांटर से धान प्रत्यक्षण में वित्तीय उपलब्धि 50.00 प्रतिशत, पैडी ड्रम सीडर से धान प्रत्यक्षण में वित्तीय उपलब्धि 100 प्रतिशत एवं जिरोटिल/सीडड्रिल से धान प्रत्यक्षण में वित्तीय उपलब्धि 100 प्रतिशत है।

8. <u>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन</u> :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में नालंदा जिले में चावल की योजना लागू नहीं है। जिले में जिरो टिलेज गेहूँ प्रत्यक्षण की उपलब्धि 84.707 प्रतिशत है। जिप्सम/सल्फर आधारित उर्वरक का वितरण की उपलब्धि शुन्य है।

नवादा जिले में चावल एवं गेहूँ की योजना लागू नहीं है।

9. <u>मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना</u> :– इस योजनांतर्गत नालंदा जिले में कुल भौतिक लक्ष्य 817.2 क्वीं0 के विरूद्ध 626.46 क्वीं0 की उपब्धि हुई है तथा नवादा जिले में भौतिक लक्ष्य 747 क्वीं के विरूद्ध 624 क्वीं0 उपलब्धि हुई है।

10. <u>एकीकृत बीज ग्राम योजना</u> :– दोनों जिले में एकीकृत बीज ग्राम योजना लागू नहीं है।

11. <u>दियारा विकास योजना</u> :– नालंदा जिले में टाल विकास योजना लागू है। इस योजना अन्तर्गत कुल वित्तीय उपलब्धि 98.17 प्रतिशत है।

नवादा जिले में दियारा विकास योजना लागू नहीं है।

12. <u>डीजल अनुदान</u> :– डीजल अनुदान वितरण हेतु वर्ष 2014–15 में नालंदा जिले को 658.504 लाख रू0 आवंटित किया गया है। जिसके विरूद्ध 604.17152 लाख रू0 की निकासी की गयी है एवं अवशेष राशि प्रत्यर्पित कर दी गयी है।

नवादा जिला को 1778.92 लाख रू0 आवंटित किया गया है। जिसके विरूद्ध कोई निकासी नहीं की गई है।

13. <u>ई–किसान भवन</u> :– ई–किसान भवन की समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी, नालंदा द्वारा बताया गया कि जिले में 11 ई–किसान भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, जिसमें 11 भवन हस्तगत करा दिये गये हैं, जिसमें प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक आदि कर्मी कार्य कर रहे हैं।

जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा द्वारा बताया गया कि जिले में कुल 04 ई–किसान भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, जिसमें 04 भवन हस्तगत हैं एवं 03

भवन में फिनसिंग का कार्य चल रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा के बताया गया कि जिला पदाधिकारी के निदेश से धान अधिप्राप्ति से प्राप्त धान की बोरियां भवन में रखी गयी है। धीरे–धीरे भवनों से निकासी का कार्य किया जा रहा है।

जिला कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी ई–किसान भवन का Average Calculation करके बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाय। ई–किसान भवन में बिजली कनेक्शन प्रखंड कृषि पदाधिकारी के नाम से लिया जाएगा। इस कार्य हेतु आवंटन की माँग जिला कृषि मुख्यालय से करेंगे।

जिला कृषि पदाधिकारियों को ई–किसान भवन में शौचालय, पानी की सुविधा, चहारदीवारी, जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति आदि उपलब्ध हैं या नहीं, इसकी पूर्ण विवरणी एवं फोटोग्राफ लेकर अगली बैठक में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

14. <u>नमूना जाँच</u> :– नमूना जाँच के अन्तर्गत नालंदा जिले में उर्वरक में 51.11 प्रतिशत, बीज में 60 प्रतिशत, कीटनाशी में 104.16 प्रतिशत, मिट्टी जांच में 99.84 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की गयी है। नवादा जिले में उर्वरक में 66.67 प्रतिशत, बीज में 70.67 प्रतिशत, कीटनाशी में 84.62 प्रतिशत तथा मिट्टी जांच में 100 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की गयी है।

15. <u>आत्मा योजना</u> :– दोनों जिले में इस योजनांतर्गत उपलब्धि असंतोषजनक पायी गयी। निदेश दिया गया कि अगली बैठक में व्यय की गयी राशि का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जाय।

निदेशक, बामेति के द्वारा बताया गया कि वर्ष 2013–14 तक का दोनों जिले में आत्मा योजना का ऑडिट हो गया है।

प्रधान सचिव द्वारा निदेशक, बामेती को निदेश दिया गया कि वर्ष 2014–15 का सभी जिलों में आत्मा योजना का ऑडिट माह जून तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाय। इस हेतु ऑडिटर के Empanalment लिए संचिका शीघ्र उपस्थापित की जाय। आत्मा योजना में निदेशक, बामेति के स्तर पर नियमित बैठक एवं कोई नियंत्रण नहीं रहने पर प्रधान सचिव द्वारा निराशा व्यक्त की गयी।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत अव्यवहृत राशि दोनों जिला कृषि पदाधिकारियों को 30.04.2015 तक निदेशक, बामेति को प्रत्यर्पित करने का निदेश दिया गया है।

निदेशक, बामेती को निदेश दिया गया कि आत्मा योजना अन्तर्गत जिलों में कितनी राशि अवशेष है इसका योजनावार एवं खातावार प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की राशि के लिए जिला स्तर पर सिर्फ एक–एक खाता रखा जाय, जिसका संचालन जिला कृषि पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक, आत्मा के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

16. <u>उद्यान योजना</u> :– उद्यान योजना की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि जिलों में पान की खेती का सत्यापन फोटोग्राफी के माध्यम से किया जाय एवं अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

सभी योजना अन्तर्गत मार्केटिंग के विषय पूरी जानकारी रखी जाय। रिफर वैन की सूची तैयार की जाय तथा इनसें कौन–कौन सा कार्य लिया जा रहा है, लिखित प्रस्तुतीकरण अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

17. <u>हरित चादर योजना</u> :– इस योजना के अन्तर्गत जिला कृषि पदाधिकारी, नालंदा ने बताया कि अभी तक ढैंचा का बीज प्राप्त नहीं हुआ है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि बीज निगम से पूछा जाय कि अभी तक बीज क्यों नहीं पहुँचा तथा समय पर बीज पहुँचाना सुनिश्चित किया जाय। मूंग बीज का भौतिक सत्यापन दिनांक 20.05.2015 तक एवं ढैंचा बीज का भौतिक सत्यापन दिनांक 20.06.2015 तक कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार से कराने का निदेश जिला कृषि पदाधिकारियों को दिया गया।

18. <u>Oil Extraction Plant</u> :- जिलों में कितना Oil Extraction Plant, किस क्षेत्र में एवं कहाँ अवस्थित है, इससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश जिला कृषि पदाधिकारियों को दिया गया।

19. अगली बैठक में कोर्ट केस यथा सिविल रिट (CWJC) एवं अवमाननावाद (MJC)/सेवांत लाभ/ए0सी0/डी0सी0 विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र/अंकेक्षण/जनशिकायत/राजस्व संग्रह से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

28/4

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :–पी०पी०एम०–21/2015– 2227 /कृ0, पटना, दिनांक 28/4/ 2015

प्रतिलिपि :– कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, बामेती, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम, पटना/वरीय प्रभारी, जैविक खेती कोषांग/उप निदेशक (शष्य), बीज/बीज विश्लेषण, बिहार, पटना/उप निदेशक (प्रक्षेत्र) बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (माप–तौल) बिहार, पटना/उप निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/जिला कृषि पदाधिकारी, नालंदा एवं नवादा/परियोजना निदेशक, आत्मा, नालंदा एवं नवादा/सहायक निदेशक उद्यान, नालंदा एवं नवादा/सहायक निदेशक, माप–तौल, नालंदा एवं नवादा/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, नालंदा एवं नवादा/सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, नालंदा एवं नवादा/सहायक निदेशक, रसायन, नालंदा एवं नवादा/सभी योजना के नोडल पदाधिकारी/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/4

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना